रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-970/2026/2331/22-2-2025-17(1035)/2025
लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलजोर (बन्दी सं0-100/2021) पुत्र श्री कौलेश्वर, तेनुहारी फस्ट, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती वर्तमान तेनुहारी फस्ट, थाना-कोतवाली खलीलाबाद जनपद-संतकबीर नगर का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 360/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती के दण्डादेश दिनांक 27.06.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 24.12.2021 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.02.2022 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.06.2025 तक 03 वर्ष 07 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 04 वर्ष 06 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-970/2026/2331(1)/22-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर/बस्ती।
3- पुलिस अधीक्षक संतकबीर नगर/बस्ती।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।